अपील प्रकरण संख्या - 07/2023, अनवान मुकेश कुमार बनाम पार्वती ग्रा.पं. 102

16.5.2025

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 राजेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं करना चाहा। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये कि कानूनन व इंसाफन नियमित दावा के द्वारा ही हक व हिस्से की घोषणा खाता तकसीम, शाश्वत व्यादेश का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इंतकाल की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें अधिकारों की घोषणा नहीं हो सकती। जब अपीलांट वादी द्वारा नियमित वाद के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत कर दिया है तो संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। जिससे प्रकरणों की बहुलता नहीं बढे। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी पी सी स्वीकार की जाकर अपील इसी स्तर पर स्थगित की जावे। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने बावत सहमति जाहिर की गई। अतः वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with CamScanner